2025:CGHC:41830

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 20.06.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 19.08.2025

दाण्डिक अपील क्रमांक 294/2009

1– उमेश कुमार यादव,पिता श्री राजाराम यादव, आयु लगभग 38 वर्ष, व्यवसाय– सेवा, उच्च श्रेणी लिपिक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सुरकछार, बांकीमोंगरा, जिला कोरबा (छ.ग.)।

––– अपीलार्थी

विरुद्ध

1 – भारत संघ, द्वारा– केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जबलपुर (अब छत्तीसगढ़)

––– प्रत्यर्थी

सहित

दाण्डिक अपील क्रमांक 293/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – नित्यानंद दिगर, पिता जी.बी. दिगर, आयु लगभग 52 वर्ष, व्यवसाय– सेवा लिपिक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सुरकछार, बांकीमोंगरा, जिला– कोरबा (छ.ग.)।

––– अपीलार्थी

विरुद्ध

1 – भारत संघ, द्वारा– केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जबलपुर (अब छत्तीसगढ़)

––– प्रत्यर्थी

अपीलार्थीगण की ओर से	:	श्री अफरोज़ खान सहित श्री संदीप दुबे,अधिवक्तागण
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री हिमांशु पाण्डेय, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे

सी ए वी निर्णय

1. चूँकि दोनों अपीलें एक ही निर्णय से उद्भूत हैं,अतः इनकी एक साथ सुनवाई की जाती है और इस एक ही निर्णय द्वारा निराकरण किया जाता है।

2. दोनों अपीलें, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन विद्वान विशेष न्यायाधीश, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 56/2004 में दिनांक 30.03.2009 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया है तथा उन्हें निम्नानुसार दण्डित किया है:–

दोषसिद्धि	**दण्डादेश**
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 व 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अधीन	प्रत्येक को डेढ़ वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3000/– रुपये का अर्थदण्ड और अर्थदण्ड की राशि के व्यतिक्रम की दशा पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास (अर्थदण्ड राशि पहले ही जमा कर दी गई है)

3. अभियोजन के अनुसार, सेवा से बर्खास्त किए गए शिकायतकर्ता बुडगा ने अपनी सी.एम.पी.एफ. राशि जारी करने के लिए अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ एसईसीएल सुरा–कछार कोलियरी के कार्मिक प्रबंधक को एक आवेदन प्रस्तुत किया था और जब उसने अपीलार्थीगण से संपर्क किया और उनसे अपने आवेदन के बारे में पूछा, तो अपीलार्थीगण ने उसके आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए 10,000 रुपये के रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने उक्त राशि का संदाय करने में असमर्थता दिखाई, इसलिए उन्होंने शिकायतकर्ता से 3,000 रुपये देने को कहा और अंत में, शिकायतकर्ता अभियुक्त व्यक्तियों को 2,000 रुपये रिश्वत देने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज होने के पश्चात, दिनाँक 08.11.2004 को सीबीआई ने शिकायतकर्ता को नोट दिए,जाल बिछाया और उसके बाद अभियुक्त व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तत्पश्चात, अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 7 व 13(1)(घ) के अंतर्गत अपराध के लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात, अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 7 व 13(1)(घ) के अधीन आरोप विरचित किए, जिस पर अपीलार्थीगण ने अपने दोष को अस्वीकार किया एवं विचारण की प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने के लिए, अभियोजन ने 11 साक्षियों का परीक्षण कराया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के कथन भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रस्तुत समस्त अभियोगात्मक परिस्थितियों से इनकार किया और प्रकरण में

स्वयं को निर्दोष और झूठे आरोप में फँसाए जाने का अभिवाक किया। यद्यपि, उन्होंने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचना करने के उपरांत, दिनांक 30.03.2009 के अपने निर्णय द्वारा, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय पाते हुए, अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120–ख के अधीन अपराध से दोषमुक्त कर दिया और उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन निर्णय के कण्डिका 1 में उल्लिखित अनुसार उन्हें दोषसिद्ध तथा दण्डित किया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय अवैध, विकृत है और विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष इस तथ्य के दृष्टिगत संधारणीय नहीं है कि अभियोजन एजेंसी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अधीन अभियोजन की स्वीकृति नहीं ली है। शिकायतकर्ता ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि रिश्वत अपीलार्थी नित्यानंद द्वारा रखी गई थी, जबकि अवैध रिश्वत जंक रूम यानी स्टोर रूम से ज़ब्त की गई थी, न कि अभियुक्त व्यक्तियों के कब्ज़े से और यह तथ्य ही शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिन्हा ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उन्होंने अभियुक्त नित्यानंद को जंक रूम की ओर जाते नहीं देखा और इसके अतिरिक्त, जिस स्थान पर नित्यानंद बैठे थे, वहाँ से कोई भी वस्तु फेंकना संभव नहीं है, जबकि श्री बी. पनीर सेलबम, निरीक्षक, सीबीआई ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि अभियुक्त नित्यानंद ने शिकायतकर्ता बुडगा द्वारा प्राप्त धनराशि जंक रूम में फेंक दी है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी स्वयं विरोधाभासी कथन दे रहे हैं जिससे पूरा अभियोजन संदिग्ध हो जाता है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण को संबंधित अपराध में झूठा फंसाया गया है। समारू नामक व्यक्ति, जो शिकायतकर्ता के साथ मौके पर मौजूद था, से अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया है और इस संबंध में अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। यहाँ तक कि सुसंगत समय पर उक्त कार्यालय में कार्यरत अन्य कर्मचारियों ने भी प्रकरण का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही हो गए। विद्वान विचारण न्यायालय इस प्रकरण के सबसे सुसंगत पहलू पर विचार करने में असफल रही है कि अभियुक्तों को संबंधित समय पर कोई आधिकारिक कर्तव्य नहीं सौंपा गया था, अर्थात सीएमपीएफ राशि का वितरण या अनुदान, जो कि कार्मिक प्रबंधक श्री आशीष अधिकारी (अ.सा.–4) के कथन के परिशीलन से और भी स्पष्ट हो जाएगा, जिन्होंने अपने कथन में व्यक्त किया है कि अभियुक्त व्यक्ति उस विभाग में कार्यरत थे, यद्यपि, बाद में उन्हें बिल/ईएमएम विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया और इसलिए, किसी व्यक्ति के पक्ष में या उसके प्रतिकूल होने का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोई प्रश्न ही नहीं है, जब इस संबंध में अपीलार्थीगण पर कोई कर्तव्य अधिरोपित नहीं किया गया है। इस प्रकरण में, अभियोजन मांग और स्वीकृति दोनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के **मुख्तियार सिंह (अब दिवंगत) द्वारा उनके विधिक प्रतिनिधि विरुद्ध पंजाब राज्य; (2017) 8 एससीसी 136, एन. विजयकुमार विरुद्ध तमिलनाडु राज्य; (2021) 3 एससीसी 687 और बी. जयराज विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य; (2014) 13 एससीसी 55** और इस न्यायालय द्वारा **शकुंतला मिश्रा विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य; एआईआर ऑनलाइन 2022 सीएचएच 35, लक्ष्मण सिंह विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य; एआईआर ऑनलाइन 2022 सीएचएच 171, ओमप्रकाश प्रधान विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य; एआईआर ऑनलाइन 2022 सीएचएच 440, बलदाऊराम साहू (मृतक) द्वारा उनके विधिक प्रतिनिधि विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)**; **एआईआर ऑनलाइन 2022 सीएचएच 34, विजय कुमार भंडारी व अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य; 2020 एससीसी ऑनलाइन सीएचएच 434, शशिकांत शर्मा विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य ; 2020 एससीसी ऑनलाइन सीएच 1740, अली मोहम्मद खान विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य; 2020 एससीसी ऑनलाइन सीएचएच 2088, राम प्रसाद नायक विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य; 2020 एससीसी ऑनलाइन सीएचएच 2305, रोहित कुमार साहू विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य; 2021 एससीसी ऑनलाइन 1507, शिवप्रसाद कुलदीप व अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य; 2021 एससीसी ऑनलाइन 1510, यधोराम बनोटे विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य; 2021 एससीसी ऑनलाइन सीएचएच 1817** और **देवतराम विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य; 2021 एससीसी ऑनलाइन सीएचएच 2494 के** प्रकरणों में पारित निर्णय का अवलंब लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने, जो आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हैं, यह तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करते हुए, अपीलार्थीगण को उचित रुप से दोषसिद्ध व दण्डित किया है। आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

9. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120(ख) और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) के साथ धारा 7 और 13(2) के तहत आरोप विरचित किए और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 7 और 13(1)(घ) के अधीन दोषसिद्ध किया।

10. इस प्रकरण में यह विवादित नहीं है कि घटना के समय, दोनों अभियुक्त उपक्षेत्र प्रबंधक, सुरकछार कलिरी कार्यालय, जिला– कोरबा छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ और उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदस्थ थे। और शिकायतकर्ता बुडगा भी पहले एसईसीएल में लोडर के पद पर पदस्थ थे और बाद में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

11. शिकायतकर्ता– बुडगा (अ.सा.– 8) ने कथन किया कि घटना की तारीख को, वह अपना भविष्य निधि का पैसा लेने कार्यालय गया था। जिसके लिए, अभियुक्तों ने उससे 10,000 रुपये की मांग की। उसने उक्त राशि देने में अपनी असमर्थता जताई, फिर अभियुक्तों ने 3000 रुपये की मांग की, लेकिन वह देने को तैयार नहीं था। फिर उसने 2000 रुपये उधार लिए। इसके बाद, उसने सीबीआई से शिकायत की। उसने आगे बताया कि जब वह सुमारू और एक सीबीआई कर्मी, नीतू बाबू और उमेश बाबू के साथ कार्यालय में दाखिल हुआ, तो उसने उससे पैसों के बारे में पूछा, तो उसने पैसे निकालकर उन्हें दे दिए। नीतू बाबू ने कहा कि इसे उमेश बाबू को दे दो। उमेश बाबू ने कहा कि इसे नीतू बाबू को दे दो। नीतू बाबू ने पैसे लिए और खुद ही उपरोक्त पैसे गिनकर उमेश बाबू को दे दिए। जब वह बाहर आया और सीबीआई वालों को इशारा किया। इस पर, सीबीआई कार्यालय में दाखिल हुई और पैसों के बारे में पूछताछ की। पूछने पर, अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने शिकायतकर्ता से पैसे लिए थे, लेकिन उन्हें शिकायतकर्ता को वापस कर दिया गया है। तलाशी लेने पर पैसे नहीं मिले। इसके बाद, सीबीआई ने अभियुक्तों से पैसों के बारे में फिर से पूछताछ की, तो अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने उसे बगल वाले जंक रूम की खिड़की से बाहर फेंक दिया था। इसके बाद, पैसे उसी जगह से बरामद हुए जहाँ उन्हें फेंका गया था। उन्होंने आगे कथन किया कि उन्होंने यह नहीं देखा कि सीबीआई ने पैसे कहाँ से बरामद किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. कण्डिका 9 में, पंच साक्षी– उमाकांत हरिकाऊ गोखले (अ.सा.– 2) ने कथन किया कि जब अभियुक्त नित्यानंद से शिकायतकर्ता बुड़गा से लिए गए नोटों के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि उसने वे नोट लेकर अभियुक्त उमेश कुमार को दिए थे। नोटों के बारे में पूछे जाने पर, अभियुक्त उमेश कुमार ने बताया कि उसने नोट नित्यानंद को दिए थे। इसके बाद, नित्यानंद से पूछने पर, उसने बताया कि उसने वे नोट ले लिए थे, लेकिन संदेह होने पर उसने उन्हें शिकायतकर्ता बुड़गा को दे दिया। जब बुडगा की तलाशी ली गई, तो नोट नहीं मिले, फिर अभियुक्तों की तलाशी ली गई, उनके पास भी कोई पैसा नहीं मिला। उनके दराज की तलाशी लेने पर भी कोई पैसा नहीं मिला। इसके बाद, सीबीआई निरीक्षक ने अभियुक्तों से पूछताछ की और पूछा कि उन्होंने इसे कहाँ रखा था, तो उन्होंने बताया कि इसे कमरे की खिड़की के पीछे रखा गया था। नित्यानंद ने जंक रूम की खिड़की से पैसे बाहर फेंक दिए थे। इसके बाद, सीबीआई टीम उस खिड़की के बाहर गई और पैसे ढूँढ़ने लगी, लेकिन उन्हें वहाँ भी पैसे नहीं मिले। बाद में, वह वापस आया और जंक रूम के अंदर कबाड़ के बीच ढूँढ़ा और वहाँ पैसे मिल गए।

13. श्याम कुमार पटेल (अ.सा.– 3) ने बताया कि वह सुरकछार कोरबा उपक्षेत्र भविष्य निधि कार्यालय में प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। दिनाँक 08.11.2004 को लगभग शाम 4:30 बजे, वह अपने कार्यालय में कार्य कर रहे थे। उसी समय सीबीआई के 4–5 लोग आए और दोनों अभियुक्तों से शिकायतकर्ता बुडगा से ली गई रकम के बारे में पूछताछ की और उसके बाद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम अभियुक्तों के पास से नहीं मिली, बल्कि जंक रूम में मिली। अभियुक्त नित्यानंद ने उनके सामने कुछ नहीं बताया। अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उनसे प्रतिपरीक्षण कराया, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि जब अभियुक्त नित्यानंद से रिश्वत की रकम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने जंक रूम में पैसे फेंक दिए थे। प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 11 में उन्होंने स्वीकार किया कि, " यह सही है कि सी. बी. आई. वालो ने अभियुक्तों के अलावा कमरे में उपस्थित सभी कर्मचारियों की भी तलाशी ली थी। यह सही है कि तलाशी के दौरान ही बिजली गुल हो गई थी तब कोयले खदान में पहनने वाली टोपी पर लगने वाली लाइट मंगाई गई थी। यह कहना सही है कि उक्त लाइट लाये जाने बाद बुड़गा और सी. बी. आई. वाले खुद बातचीत किये थे फिर सी. बी. आई. वाले जंक रूम में गए थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. आशीष अधिकारी (अ.सा.– 4) ने कण्डिका 11 में कथन किया कि, ...सीबीआई ने बताया कि बुडगा द्वारा दी गई रिश्वत की रकम अभी तक नहीं मिली है और वे उसकी तलाश कर रहे हैं। कण्डिका 12 में, उन्होंने आगे कथन किया कि सीबीआई ने पैसे छिपाने के संदेह में पुराने जंक रूम की तलाशी के लिए टॉर्च मँगवाई थी और वहाँ से रिश्वत की रकम बरामद हुई। अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उनसे प्रतिपरीक्षण कराया, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अभियुक्त नित्यानंद ने सीबीआई निरीक्षक को उनके सामने बताया था कि उन्होंने रिश्वत की रकम जंक रूम में फेंक दी थी।

अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 16 में, उन्होंने स्वीकार किया कि घटना की तारीख को, सीबीआई अधिकारी ने कार्यालय में उपस्थित समस्त लिपिकों की तलाशी ली थी।

कण्डिका 23 में, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अभियुक्त उमेश कुमार को दिनाँक 01.11.2004 से छह दिन की अवकाश स्वीकृत की थी। आवेदन की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श डी./1 है और उपस्थिति पंजी की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श डी./2 है।

अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 24 में, उन्होंने कथन किया कि उपस्थिति पंजी (प्रदर्श डी./2) के अनुसार, उमेश कुमार दिनाँक 01.11.2004 से 06.11.2004 तक अवकाश पर थे।

15. विजय कुमार गोपालन (अ.सा.– 7) ने कथन किया कि घटना के दिन वह अपने कार्यालय में कार्य कर रहे थे। उसी समय, सीबीआई अधिकारी आए और रिश्वत के पैसे ढूँढ़ रहे थे। उसी समय लाइट चली गई। सीबीआई अधिकारियों ने कार्यालय कक्ष की अलमारी, अभिलेख आदि की तलाशी ली और कार्यालय में मौजूद लोगों की भी तलाशी ली। अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उनसे प्रतिपरीक्षण कराया, किंतु उन्होंने अपने पुलिस कथन (प्र.पी./12) से इनकार कर दिया। अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 11 व 12 में, उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि, "यह सही है कि सी. बी. आई. वाले मुझसे भी यह पूछताछ किये थे कि नित्यानंद को रिश्वत लेते हुए देखो हो क्या? तब मैंने कहा था कि मैं अपने कार्य में ब्यस्त था नहीं देखा था। यह सही है कि मैंने यह नहीं देखा कि जहाँ से पैसा बरामद किया गया था वहाँ पर पैसा किसने रखा था।"

16. उप–निरीक्षक हुसैन (अ.सा.– 9) ने कथन किया कि रिश्वत के नोट जंक रूम से बरामद किए गए थे।

अपने प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियुक्त और बुडगा के मध्य बातचीत धीमी आवाज़ में हो रही थी, इसलिए वह उसे सुन नहीं पाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. बी. पनीर सेल्वम(अ.सा.– 10) ने कथन किया कि रिश्वत का पैसा अभियुक्त व्यक्तियों की निशानदेही पर जंक रूम से बरामद किया गया था।

18. सभी साक्षियों के कथनों की गहन जाँच से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की माँग का कोई प्रमाण नहीं है और दागी नोटों की बरामदगी जंक रूम से की गई थी।

19. **बी. जयराज** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कण्डिका 7 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

> "7. जहाँ तक धारा 7 के अधीन अपराध का संबंध है, विधि में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अवैध परितोषण की माँग उक्त अपराध के लिए अनिवार्य है और केवल करेंसी नोटों की बरामदगी धारा 7 के अधीन अपराध नहीं बन सकती, जब तक कि यह सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित न हो जाए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से यह जानते हुए भी कि यह रिश्वत है, धन स्वीकार किया। उपरोक्त स्थिति इस न्यायालय के कई निर्णयों में संक्षेप में प्रस्तुत की गई है। उदाहरण के तौर पर, सी.एम. शर्मा विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य 2 [(2010) 15 एससीसी 1] और सी.एम. गिरीश बाबू विरुद्ध

सीबीआई 3 [(2009) 3 एससीसी 779] के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है।"

20. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मुख्तियार सिंह** (पूर्वोक्त)प्रकरण में कण्डिका 13 और 14 में पुनः यह अभिनिर्धारित किया है, जो नीचे पुन: प्रस्तुत है:–

> 13. अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत आरोप स्थापित करने में मांग और अवैध परितोषण के प्रमाण की अनिवार्यता ने अब तक इस न्यायालय का ध्यान अनेक अवसरों पर आकर्षित किया है। ए. सुबैर विरुद्ध केरल राज्य 5; (2009) 6 एससीसी 587 में, इस न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि अभियोजन को उपरोक्त प्रावधानों के तहत आरोप साबित करने के लिए, अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति को उचित प्रमाण द्वारा स्थापित करना होगा और जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक अभियुक्त को निर्दोष माना जाना चाहिए। इस कथन को आगे बढ़ाते हुए, इसे केरल राज्य विरुद्ध सी.पी. राव 6; (2011) 6 एससीसी 450 में कहा गया है कि केवल उस राशि की वसूली, जिसके बारे में कहा गया है कि वह अवैध परितोषण के रूप में संदाय की गई थी, अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित नहीं होगा और रिश्वत के संदाय को साबित करने या यह दर्शाने के लिए किसी साक्ष्य के अभाव में कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से पैसा स्वीकार किया था, यह जानते हुए भी कि वह रिश्वत है, दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।
>
> 14. पी. सत्यनारायण मूर्ति[2]; (2015) 10 एससीसी 152 में इस न्यायालय ने बी. जयराज विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य[7]; (2014) 13 एससीसी 55 में दिए गए अपने फैसले का संज्ञान लिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मांग के साक्ष्य के बिना किसी अभियुक्त से केवल करेंसी नोटों का कब्ज़ा और बरामदगी ही अधिनियम की धारा 7 के साथ–साथ धारा 13(1)(घ)(i) और (ii) के अधीन अपराध स्थापित नहीं करेगी। यह भी बताया गया कि अवैध परितोषण की मांग के किसी साक्ष्य के अभाव में, भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग या किसी भी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए लोक सेवक के रूप में अपने पद

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का दुरुपयोग साबित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार, न केवल मांग का प्रमाण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत किसी अपराध के लिए एक अपरिहार्य अनिवार्यता और एक अटल वैधानिक आदेश माना गया, बल्कि अधिनियम की धारा 20 के तहत भी यह माना गया कि इसके अन्तर्गत कोई भी अनुमान केवल मांग के ऐसे प्रमाण पर ही उद्भूत होगा। इस प्रकार, इस न्यायालय ने पी. सत्यनारायण मूर्ति [2]; (2015) 10 एससीसी 152 में धारा 7 व 13 की पूर्व–आवश्यकताओं और उनके प्रमाण पर अपने पूर्व निर्णयों के सर्वेक्षण के आधार पर अपने निष्कर्षों को संक्षिप्त में निम्नानुसार प्रस्तुत किया: (एससीसी पृष्ठ 159, कण्डिका 23)

"23 इस प्रकार, अवैध परितोषण की माँग का प्रमाण, अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(घ)(i) और (ii) के अधीन अपराध का मुख्य आधार है और इसके अभाव में, इसके लिए आरोप स्पष्ट रूप से असफल हो जाएगा। कथित रूप से अवैध परितोषण के रूप में किसी भी राशि की स्वीकृति या उसकी वसूली, मांग के प्रमाण के बिना, स्वतः ही, अधिनियम की इन दो धाराओं के तहत आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। परिणामस्वरूप, अभियोजन द्वारा अवैध परितोषण की माँग को साबित करने में असफलता घातक होगी और अधिनियम की धारा 7 या 13 के अधीन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से राशि की वसूली मात्र से उसे इसके तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकेगा।" (बल दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इस न्यायालय ने **शिवप्रसाद कुलदीप** (पूर्वोक्त) प्रकरण में कण्डिका 14, 15 व 16 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

"14. (2009) 3 एससीसी 779 (सी.एम. गिरीश बाबू विरुद्ध सीबीआई, कोचीन, केरल उच्च न्यायालय)में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"18. सूरज मल विरुद्ध राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979) 4 एससीसी 725 में, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि (एससीसी पृष्ठ 727, कण्डिका 2 में) रासायनित धन की केवल वसूली जिन परिस्थितियों में उसे संदाय किया गया था, उनसे अलग, अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए

पर्याप्त नहीं है, जब प्रकरण में मूल साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। केवल वसूली ही अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के आरोप को साबित नहीं कर सकती, जब तक कि रिश्वत के संदाय को साबित करने या यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य न हो कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से यह जानते हुए भी कि यह रिश्वत है धन स्वीकार किया।"

15. इसके अतिरिक्त, (2014) 13 एससीसी 55(बी. जयराज विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

"7. जहाँ तक धारा 7 के अंतर्गत अपराध का संबंध है, विधि में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अवैध परितोषण की माँग उक्त अपराध के लिए अनिवार्य है और केवल मुद्रा नोटों की वसूली धारा 7 के अधीन अपराध नहीं बन सकती, जब तक कि यह सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित न हो जाए कि अभियुक्त ने यह जानते हुए कि यह रिश्वत है स्वेच्छा से धन स्वीकार किया। उपरोक्त सिद्धांत इस न्यायालय के कई निर्णयों में संक्षेप में प्रस्तुत की गई है। उदाहरणार्थ, सी.एम. शर्मा विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य,(2010) 15 एससीसी 1 और सी.एम. गिरीश बाबू विरुद्ध सीबीआई,(2009) 3 एससीसी 779 के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जहाँ तक अधिनियम की धारा 20 के अधीन अनुमेय उपधारणा का संबंध है, ऐसी उपधारणा केवल धारा 7 के अंतर्गत अपराध के संबंध में ही हो सकती है, न कि अधिनियम की धारा 13(1)(घ) (i) और (ii) के अधीन अपराधों के संबंध में। किसी भी स्थिति में, अवैध परितोषण स्वीकार करने के प्रमाण पर ही अधिनियम की धारा 20 के अधीन यह उपधारणा की जा सकती है कि ऐसा परितोषण किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के लिए प्राप्त किया गया था। अवैध परितोषण स्वीकार करने का प्रमाण तभी प्राप्त हो सकता है जब मांग का प्रमाण मौजूद हो। चूँकि वर्तमान प्रकरण में इसका अभाव है, इसलिए प्राथमिक तथ्य जिनके आधार पर धारा 20 के अधीन विधिक उपधारणा की जा सकती है, पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।

16. हाल ही में, (2021) 3 एससीसी 687 (एन. विजयकुमार विरुद्ध तमिलनाडु राज्य) में, सी.एम. गिरीश बाबू (पूर्वोक्त)और बी. जयराज (पूर्वोक्त) के प्रकरणों में पारित निर्णय को दोहराते हुए,माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "26. यह भी समान सुस्थापित है कि केवल वसूली ही अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के आरोप को साबित नहीं कर सकती। इस न्यायालय के सी.एम. गिरीश बाबू विरुद्ध सीबीआई, (2009) 3 एससीसी 779 और बी. जयराज विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 13 एससीसी 55 के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(घ)(i) और (ii) के अधीन प्रकरण पर विचार करते हुए इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में यह दोहराया गया है कि आरोप साबित करने के लिए, यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना चाहिए कि अभियुक्त ने यह जानते हुए कि यह रिश्वत है स्वेच्छा से धन स्वीकार किया। अवैध परितोषण की मांग के प्रमाण का अभाव और केवल मुद्रा नोटों का कब्ज़ा या बरामदगी ही इस प्रकार के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उक्त निर्णयों में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 20 के अधीन उपधारणा भी अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति साबित होने के बाद ही की जा सकती है। यह भी सुस्थापित है कि दाण्डिक न्यायशास्त्र में निर्दोषता की प्रारंभिक उपधारणा, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति से दोगुनी हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उपरोक्त के आलोक में, वर्तमान प्रकरण में, यह सुस्पष्ट है कि मांग का कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि करेंसी नोट जंक रूम से बरामद किए गए थे और पंच साक्षियों और विवेचना अधिकारी के कथन एक–दूसरे के विरोधाभासी हैं और अन्य वर्तमान साक्षियों ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। यह भी स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में कथन किया है कि मांग दिनाँक 06.11.2004 को की गई थी, किंतु आशीष अधिकारी (अ.सा.– 4) के अनुसार, अभियुक्त उमेश कुमार दिनाँक 06.11.2004 को अवकाश पर थे और उक्त तथ्य प्र.डी./1 और प्र.डी./2 से स्पष्ट है। इस प्रकार, अभियोजन अपीलार्थीगण द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग और स्वीकृति को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

23. उपरोक्त कारणों से, दोनों अपीलें **स्वीकार** की जाती हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अधीन अपीलार्थीगण को दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

24. अपीलार्थी जमानत पर हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र क्रमांक 45 के अनुसार संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रत्येक को 25,000/– रुपये की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के एक जमानतदार अविलंब प्रस्तुत करें, जो छह माह की अवधि के लिए प्रभावशील होगा और साथ ही यह वचन भी दें कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध या अनुमति प्रदान करने के लिए विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करने की स्थिति में, उपरोक्त अपीलार्थी सूचना प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

25. इस निर्णय की एक प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालनार्थ संबंधित विचारण न्यायालय को अविलंब प्रतिप्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**